रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 1977/माघ 11, 1898
No 22] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 1977/MAGHA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

Bureau of Public Enterprises

RESOLUTION

New Delhi, the 31st January 1977

No. 4/6/77-BPE(IMP).—The Government of India have in the context of the new managerial policy for manning posts in the Public Enterprises decided to abolish the Industrial Management Pool constituted *vide* the Ministry of Home Affairs Resolution No F 21(12)-EO/56, dated the 12th November, 1957. All posts included in the Industrial Management Pool will stand abolished from the afternoon of 31st of March, 1977 and all appointments to the Pool shall stand terminated from that date

2 As the services of officers of the Industrial Management Pool stand terminated in pursuance of this order with effect from the afternoon of 31st of March, 1977, they shall be eligible for the following benefits —

(1) Officers of the Industrial Management Pool shall be absorbed in the particular enterprises in which they are working as on 31st March, 1977 on the following terms:—

(a) Pay scales as applicable to the posts held by them as on 31st March, 1977;

(b) All other service conditions in accordance with the regulations of the Company,

(c) *Pro-rata* pension and gratuity with commutation rights, carry-forward of leave and provident fund and family pension as applicable to the Central Government servants who have opted for absorption in Public Enterprises in terms of the Government orders on the subject; and

(d) In addition to *pro-rata* pension and gratuity allowed under (c) above, notional service not exceeding the remaining period upto the date of normal superannuation or 1/4th of the length of actual Government service of the officer or 5 years, whichever is least, shall be added for the purpose of calculating retiring pension and death-cum-retirement gratuity

(ii) Industrial Management Pool officers who are presently holding posts outside the Public Enterprises shall be absorbed in the Public Enterprises in which they last served and in a grade not lower than their grade in the Industrial Management Pool on 31st March, 1977. They will be considered to be holding their present posts on deputation from such Enterprises; and

(iii) Such of the Industrial Management Pool officers, as are holding posts of Chief Executives and Board level posts shall be offered contractual appointments at the Board level according to the normal terms applicable to such posts In the event of such a contract not being renewed and the officer not having attained the age of superannuation, he shall be offered an option of accepting suitable placement in the Public Enterprise concerned in an advisory or other capacity without loss of pay

3. In the case of an officer not willing to be absorbed in the Public Enterprise concerned in terms of this Resolution, he will be granted pension and gratuity as indicated in Para 2(i) (c) and (d) above

4. In accordance with the above decision all officers of the Industrial Management Pool will be required to communicate in the form specified, whether they are willing to be absorbed in the Public Enterprises concerned, failing which they shall be entitled to only the terminal benefits as detailed in Para 2(i)(c) and (d) above.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section 1.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/ Departments of the Government of India and the Public Enterprises of the Government of India for implementation

G. RAMACHANDRAN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

सरकारी उद्यम कार्यालय

संकल्प

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

सं० 4/6/77-बी०पी०ई० (आई०एम०पी०).—भारत सरकार ने, सरकारी उद्यमों में पद भरने के लिए नयी प्रबन्धकीय नीति के संदर्भ में औद्योगिक प्रबन्ध समूह, जो गृह मंत्रालय के दिनांक 12 नवम्बर, 1957 के एफ 21(12)-ई०ओ० 56 संख्यक संकल्प द्वारा बनाया गया था, को समाप्त करने का निर्णय किया है। औद्योगिक प्रबन्ध समूह में सम्मिलित सभी पद 31 मार्च, 1977 के अपराह्न से समाप्त हो जायेंगे और प्रबन्ध-समूह के अन्तर्गत की गई सभी नियुक्तियां भी उसी तारीख से समाप्त हो जायेंगी।

2. चूंकि इस आदेश के अनुसार औद्योगिक प्रबन्ध समूह के अधिकारियों की नियुक्तियां 31 मार्च, 1977 के अपराह्न से समाप्त हो जायंगी, इसलिये वे निम्नलिखित हितलाभ प्राप्त कर सकेंगे :—

(i) औद्योगिक प्रबन्ध समूह के अधिकारी जिन उद्यमों में 31 मार्च, 1977 को काम कर रहे होंगे, उन उद्यमों में उनका निम्नलिखित शर्तों पर अन्तर्लयन कर दिया जायगा :—

(क) वेतनमान उन पदों के अनुसार जिन पर वे 31 मार्च, 1977 को काम कर रहे हों ;

(ख) अन्य सभी सेवा शर्तें कम्पनी के विनियमों के अनुसार ;

(ग) रूपान्तरण के अधिकार सहित आनुपातिक पेंशन और उपदान, छुट्टी और भविष्य निधि का अंशदान और पारिवारिक पेंशन जैसा कि वह उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, जिन्होंने सरकार के आदेशों के अनुसार सरकारी उद्यमों में अन्तर्लयन के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है ; और

(घ) ऊपर (ग) के अन्तर्गत अनुमत्य आनुपातिक पेंशन और उपदान के अतिरिक्त मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान का हिसाब लगाने के प्रयोजनार्थ एक अभिप्रायात्मक सेवा अवधि भी जोड़ी जायगी जो अधिकारी की सामान्य अधिवर्षता की तारीख तक की शेष अवधि या अधिकारी की वास्तविक सरकारी सेवा के 1/4 भाग या 5 वर्ष, इनमें से जो भी सबसे कम हो, के बराबर होगी।

(ii) औद्योगिक प्रबन्ध समूह के जो अधिकारी इस समय सरकारी उद्यमों से बाहर के पदों पर काम कर रहे हैं उनका अन्तर्लयन उस उद्यम में किया जायगा जिसमें उन्होंने सबसे आखिर में सेवा की थी और उन्हें ऐसे ग्रेड में रखा जायगा जो 31 मार्च, 1977 को उन्हें औद्योगिक प्रबन्ध समूह में प्राप्त ग्रेड से कम न हो। उन्हें अपने वर्तमान पद पर ऐसे उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ माना जायगा ; और

(iii) औद्योगिक प्रबन्ध समूह के जो अधिकारी मुख्य कार्यकारी पदों या बोर्ड स्तर के पदों पर है उन्हें बोर्ड स्तर के पदों पर उन सामान्य शर्तों के अनुसार संविदागत नियुक्तियां सुलभ की जायेंगी, जो ऐसे पदों पर लागू होती हैं। यदि संविदा का नवीकरण न किया जाय और अधिकारी अधिवर्षता की आयु तक न पहुंचा हो तो ऐसी स्थिति में उसे सम्बन्धित सरकारी उद्यम में एक परामर्शदायी या अन्य हैसियत में कोई उचित पद स्वीकार करने का विकल्प दिया जायगा और उसके वेतन में कोई कमी नहीं की जायगी।

3. यदि कोई अधिकारी सम्बन्धित सरकारी उद्यम में इस संकल्प की शर्तों के अनुसार अन्तर्लयन न चाहे तो ऐसे मामले में उसे परा 2(1) (ग) और (घ) के अनुसार पेंशन और उपदान मंजूर किये जायंगे।

4. उपर्युक्त निर्णय के अनुसार औद्योगिक प्रबन्ध समूह के सभी अधिकारियों को एक निर्दिष्ट प्रपत्र द्वारा यह सूचित करना होगा कि वे सम्बन्धित सरकारी उद्यमों में अन्तर्लयन चाहते हैं या नहीं। ऐसा न करने पर उन्हें केवल ऊपर परा 2(1) (ग) और (घ) में बताये गये सेवान्त हितलाभ ही प्राप्त हो सकेंगे।

आदेश

यह आदेश है कि इस संकल्प को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाय ।

यह भी आदेश है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और भारत सरकार के सभी सार्वजनिक उद्यमों को कार्यान्वयन के लिए भेजी जाय ।

जी० रामचन्द्रन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977